विचार बिन्दु

नम्रता और खुदा के खौफ से इज्जत और जिन्दगी मिलती है। –सुलेमान

हम कब तक संविधान की अवज्ञा करते रहेंगे

संविधान बनने के बाद, डा. अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव पारित करने हेतु विधान सभा में रखा कि विधान सभा द्वारा यथानिर्णित संविधान पारित किया जावे और उसे दिनांक 26 नवम्बर 1949 को स्वीकृत किया गया, इस प्रकार भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया, अधिनियमित किया और अपने आपको अर्पित किया। प्रारूपण समिति के सभापति डा. अम्बेडकर ने उस समय भाषण करते हुये चेतावनी तथा सावधानी के शब्दों में कहा:-

"मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग, जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा गया खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना ही खराब क्यों न हो, यदि ये लोग, अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा।"

दिनांक 26.01.1950 से संविधान लागू हुआ, और कई सरकारें बदलती गईं, किन्तु संविधान की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई अत: देश जो उन्नति करता, वह नहीं कर सका। अर्थ स्पष्ट है लोगों ने वोटों के लालच में आरक्षण व अल्पसंख्यक के नाम पर वोट बैंक बना लिये। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 के संदर्भ है जो धर्म से संबंधित है और अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बाबत है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 334 यह स्पष्ट करता है कि स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 10 वर्ष के बाद नहीं रहेगा यह आरक्षण राजनैतिक है और चुनावों से संबंध रखता है। यह प्रावधान सनसेट लॉ के रूप में था और इसकी अवधि संशोधन द्वारा बढाना संविधान के बेसिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ओयाग अधिनियम 1992 में अल्पसंख्यक की जो परिभाषा दी है वह संविधान के सर्वथा विपरीत है और साथ ही अनुच्छेद 14 का भी अतिरेक करती है, क्योंकि अल्पसंख्यक की परिभाषा निरंकुश है अतिरंजित है। 1960 ही से अनुच्छेद 334 का प्रावधान समाप्त हो चुका था किन्तु उसे सभी सरकारों ने बिना किसी अधिकार के प्रत्येक 10 वर्ष के बाद बढाया है और राज्य का जनरल मतदाताओं को मतदान से वंचित किया। देश में आजादी के बाद राज्यों का नव गठन हुआ है अत: अल्पसंख्यक का निर्धारण भी राज्यों की भाषा के अनुरूप होना चाहिये अर्थात् पंजाब में चूंकि सिख अन्य जाति से अधिक हैं तो वहां पर हिन्दू माइनोरिटी होंगे, सिख नहीं। कश्मीर में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं के मुकाबले में अधिक है अत: कश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यक माने जावेंगे। अल्पसंख्यकों के मामलों में तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जातियों के लोगों के बीच विवादों से कोर्ट्स में केसों का अम्बार लग गया। स्थिति स्पष्ट है फिर भी विवादों के कम होने का नाम नहीं हैं, क्योंकि संविधान के निर्देशनों की उसकी आज्ञा को हम मानना ही नहीं चाहते। वस्तुत: सब झगडों का कारण उक्त अधिनियम की अल्पसंख्यक की परिभाषा है जो स्पष्ट रूप से यह बताती है कि अल्पसंख्यक वे हैं, जिसे (जिस कॉमिडिटी को) केन्द्र सरकार नोटिफिकेशन द्वारा घोषित कर दे।

प्राचीन काल में भारत में शासक अपने धर्म से बंधे थे, अत: कोई धर्म का उल्लंघन नहीं करता था किन्तु वर्तमान में संविधान के अधीन जो कानून बनते हैं लोकतंत्र उनसे चलता है। देश धर्म से नहीं, रूल ऑफ लॉ से चलता है। देश तो धर्म निपरेक्ष है। सब लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार आचरण करते हैं। वर्तमान में इस प्रकार हम संविधान के अनुसार आचरण न कर, संविधान की अवज्ञा कर रहे हैं। शासक व जनता दोनों ही संविधान की अवज्ञा करने पर आमादा हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जातियों के आधार पर उम्मीदवार खडे.किये जाते हैं। संविधान कहता है देश की शक्ति का केन्द्र साधारण मतदाता है, किन्तु मतदाता को शक्तिहीन कर दिया है उसे धर्म और जाति में बांट दिया गया। यह बीमारी प्रत्येक वर्ष बढती जा रही है, क्योंकि हम संविधान की अवज्ञा में लीन हैं।

चुनाव कानूनों में संशोधन हो। नशामुक्त देश हो। राष्ट्र भाषा हिन्दी हो साथ ही राज्यों की मातृभाषा को पर्याप्त सम्मान हो। अनुच्छेद 343 व अनुच्छेद 120 व 210 को साथ पढ़ें तो स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। दागी व्यक्तियों को कानून बनाकर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जावे।

राजनैतिक पार्टियां अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है फ्रीबीज का बोलवाला है। घोषणा के वायदे कोई पूरा नहीं करता। चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में पार्टी की वचन बद्धता का सेशल ऑडिट होना चाहिये इसके लिये चुनाव कानून में व्यवस्था होनी चाहिये। जो पार्टी चुनाव घोषणा पत्रों के अनुसार अपने वायदे पूरे नहीं कर पाये तो उसे आगामी चुनावों में डिसक्वालीफाई किया जाना चाहिये अन्यथा संविधान की पालना नहीं हो सकेगी।

शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है वह राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर है, वर्तमान समय में शिक्षा के लिये धन की कमी नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में घोषणा की थी कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों की अवधि में राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, किन्तु 10 वर्ष की अवधि के बाद इसे प्रत्येक 10 वर्ष बाद बढा दिया जाता है। राज्यों में इसके विपरीत संविधान में संशोधन कर यह प्रावधान ही समाप्त कर दिया। सरकार का यह कदम Retrogative (प्रतिगामी) है। नीति निदेशक तत्वों के चेप्टर में अनुच्छेद 45 में संशोधन कर दिया जिसके अनुसार यह प्रावधान इस प्रकार है कि राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न करलें शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21क जोडा गया और शिक्षा का जो अधिकार अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु का था उसे 6 से 14 वर्ष की आयु तक सीमित कर दिया। नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करने की व्यवस्था राज्य विधि के अधीन निर्धारित की गई। इस प्रकार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित कर दिया जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 के तहत आठवीं कक्षा तक की शिक्षा को मूल अधिकार मान चुका है। इस प्रकार अनुच्देद 21क व अनुच्छेद 45क के प्रावधान अवैध हैं और केन्द्र सरकार की आज्ञा, असंवैधानिक है और स्पष्ट संविधान की अवज्ञा है। असंशोधित अनुच्छेद 45 में भी 10 वर्ष की अवधि सनसेट लॉज के सिद्धान्त पर थी।

कैसा मेरा देश है जहाँ आठवीं कक्षा की शिक्षा तो कम से कम सबके लिये अनिवार्य है किन्तु चुनाव में खडे होने के हेतु शिक्षा का कोई बन्धन नहीं है। बिना पढा लिखा व्यक्ति मंत्री तक बन सकता है। क्या यह उचित है? संविधान ने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकार सबको दिये हैं, किन्तु अभी तक राज्य सामाजिक व आर्थिक अधिकार देने में असमर्थ रहा है। संविधान समाजवाद की बात करता, किन्तु सरकारी नौकरों के घरों में टनों सोना मिलना और नोटों के अम्बार घरों में पाना हमारी नैतिकता की धज्जियां तो उडा ही रहा है। जहां अपार धन है किन्तु जनसाधारण को एक समय का पूरा खाना भी नसीब नहीं होता। संसार के 10 मिलियन मानव एक समय की रोटी को तरस रहे हैं। शराबबंदी करना राज्य का दायित्व है और इस पर कुछ राज्य गर्व से कह रहे हैं, शराब की आय से वे धन अर्जित कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र की भावना से चलाने वाला राज्य अनैतिक आय का सहारा ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में माना है कल्याणकारी राज्य, अनैतिक अर्जित आय से संचालित नहीं किया जा सकता। नीति निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनायेगा। कोई भेदभाव नहीं करेगा। सम्पत्ति का संग्रह कुछ व्यक्तियों तक सीमित न होकर उसका उचित वितरण होगा जिससे सर्व साधारण के लिय अहितकारी संकेन्द्रण न हो। सभी को कम से कम निर्वाह मजदूरी प्राप्त हो, नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता होना चाहिये।

संविधान में नागरिकों के अधिकारों के साथ ही मूल कर्त्तव्य भी निर्धारित किये हैं जहां सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो जो धर्म भाषा और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 रिपील होना चाहिये अथवा अवैध घोषित। नागरिकों का कर्त्तव्य है वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के हेतु करूणा भाव रखें, हिंसा से दूर रहें तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाये आदि, किन्तु सरकारों ने इनकी पालना नहीं के बराबर की है और प्रारंभ से आज तक संविधान की अवज्ञा हो रही है, और भविष्य में भी अवज्ञा होती रहेगी।

समय की पुकार है देश को संविधान व कानून के अनुसार चलाया जावे और सभी पक्ष अर्थात् नागरिक व राज्य सरकारें अपने अपने दायित्व को समझें। मतदाताओं को समझना होगा कि मत उसे उन्हें देना है जो पढा लिखा है, दागी नहीं है सद्चरित्र है तथा जो व्यक्ति चुनाव लड रहा है उसका कर्त्तव्य हो कि वह संविधान के नीति निदेशक तत्वों को लागूकर उनके आधार पर देश को उन्नति की ओर ले जावे और जनता के मत को खरीदने के हेतु कोई गिफ्ट, नकदी, टीवी, मोबाईल आदि देने का प्रयत्न नहीं करे।

हमारा प्रयत्न हो कि एक अच्छा और उपयोगी कानून बनाकर आरटीआई कानून देश में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा कर उन्हें न्याय दिलावे। चुनाव कानूनों में संशोधन हो। हमने संविधान में जो संशोधन किये हैं, उन्हें सुधार कर संविधान को प्रगतिशील बनायें। नशामुक्त देश हो। राष्ट्र भाषा हिन्दी हो साथ ही राज्यों की मातृभाषा को पर्याप्त सम्मान हो। अनुच्छेद 343 व अनुच्छेद 120 व 210 को साथ पढें तो स्थिति स्पष्ट हो जावेगी। दागी व्यक्तियों को कानून बनाकर चुनाव लडने से प्रतिबंधित किया जावे। शिक्षा की अनिवार्यता चुनाव में खडे होने वाले उम्मीदवार के लिये निश्चित की जावे।

शास्त्रों में लिखा है– **'आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरितासउद्भिद:'**

अर्थात्– **'ज्ञान जहां से प्राप्त हो उसे अंगीकार करो।'**

दीपावली की शुभ व मंगल कामना के साथ –

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

आधुनिक चिकित्सा के आयाम

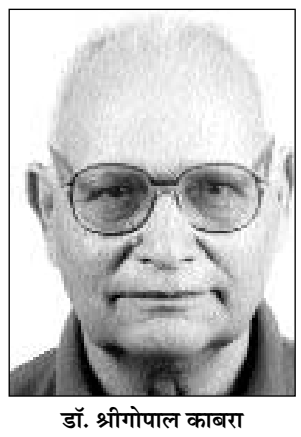

डॉ. श्रीगोपाल काबरा

1963 में हाउस जॉब खत्म कर मैं राजस्थान आ गया। मेडिकल कालेजों में पढाया। 1984 में जयपुर के निजी मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल में आ गया। तब से आज 2022, 38 वर्ष का लम्बा समय। आधुनिक चिकित्सा में बरबस हुए बदलाव का साक्षी और सारथी रहा हूं। एक बात मैं बिना झिझक और दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के आधुनिक चिकित्सकों को चिकित्सा, मानव शरीर की संरचना व कार्यप्रणाली का ज्ञान 50 वर्ष पहले के (मेरे समकक्ष) चिकित्सकों से 1000 गुणा अधिक है, और पुख्ता भी। इस ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग के संदर्भ बदल गए। क्लिनिकल – चिकित्सकीय अनुभव आधारित चिकित्सा उत्तरोतर उपकरण आधारित हो गई है।

निदान, उपचार, मोनिटरिंग सब उपकरण आधारित हो गया। उपकरणो के कम्प्यूटीकृत होने से उनकी अक्यूरेसी बढ गई। आर्टिफीशियल इन्टेलीजेन्स के प्रयोग से उपकरण ओटोमेटिक और ओटोनोमस हो गये हैं। उपकरणीय गणना में चिकित्सक गौण हो गए। उपकरणीय गणना ही मान्य हो गई। क्लिनिकल चिकित्सा या व्यवहारिक चिकित्सा के संदर्भ बदल गए। एविडेन्स बेस्ड, साक्ष्य आधारित, चिकित्सा के संदर्भ बदल गए। चिकित्सक के व्यक्तिगत अनुभव आधारित साक्ष्य अब मान्य नहीं रहे। उपकरण आधारित टैस्ट रिपोर्ट ही मान्य साक्ष्य हो गये – चिकित्सक, रोगी और न्यायालय, सब के लिए। चिकित्सक का क्लिनिकल आंकलन बिना साक्ष्य के निराधार माना जाता है। कंज्यूमर कोर्ट, कंगारू कोर्ट या काजीजी की अदालत, में मांगे जा रहे साक्ष्य। मेडिकल नेग्लिजेंस केस करोडो का विधिक व्यापार हो गया है। लाखों करोडो का। अस्पताल उसे कवर करने के लिये लागत से बहुत अधिक राशि मरीजो से वसूलते हैं। चिकित्सक शुरूआत ही साक्ष्य जुटाने से करता है। यही अपेक्षित है, यही मान्य और यही आधुनिक चिकित्सा की क्लिनिकल विधि। यह सार्थक भी है, विशेष कर स्पेशिलिस्ट और सुपर स्पेशिलिस्ट द्वारा अपेक्षित और वांछित मल्टी डिसिप्लेनरी चिकित्सा में। आज किसी भी आधुनिक अस्पताल में एक रोगी की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 50 डाक्टर साक्ष्य आधारित चिकित्सा करते हैं, करने को बाध्य हैं। अपनी खामियों के बावजूद उच्च स्तर की चिकित्सा आज जन साधारण को मिल रही है। शहर के अस्पतालों में 70 प्र.श. रोगी कस्बों और गांवों से आते हैं। अच्छी सडके, सहज उपलब्ध परिवाहन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांव के लोगों को इतने डाक्टरों की सेवाएं और इस स्तर की चिकित्सा सहज सुलभ होगी। अनावश्यक टैस्ट्स का रोना बेमानी है। चिकित्सा के लिए निगेटिव साक्ष्य जुटाना भी उतना ही आवश्यक है, आधुनिक चिकित्सा का अनिवार्य अंग, व्यवहारिक अंग। व्यावहारिक या व्यावसायिक, यह आपकी सोच है।

आधुनिक चिकित्सा में मानव शरीर स्थूल काया नहीं वरन् विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और संस्थानों का क्रियाशील जागृत तंत्र है। क्रियाशीलता जीन प्रेरित कोशिकीय स्तर की रासायनिक प्रक्रियायें हैं। जीवन का आधार यही है, रोग में विकृति का आधार भी यही। चिकित्सक को बाहरी आवरण के पार यही देखना है, और इसका जरिया हैं आज के आधुनिक टैस्ट्, विलक्षण क्षमता व सटीकता वाले टैस्ट्स। इसको रिडक्शनिस्ट एप्रोच (सूक्ष्म स्तरीय) कह कर नकारना और अन्य चिकित्सा प्रणालियों को होलिस्टिक (समग्रता) कह कर प्रचारित करना भ्रामक व आधारहीन है; बाजारवाद की 'यू एस पी' यूनीक सेलिंग पाइन्ट।

यह सच है कि आधुनिक चिकित्सा की अनेक विकृतियां हैं। हमारे देश में कुछ ज्यादा ही। कारण है उन्नत स्तर के रेगुलेटरी मेकेनिज्म का न विकसित होना। यह मेकेनिज्म आंतरिक होगा, जैसा विकसित देशो में है। देश में काजीजी की अदालत द्वारा नियत्रंण ने तो इसे और भी विकृत बना दिया है।

–डॉ. श्रीगोपाल काबरा,
वरिष्ठ चिकित्सक, जयपुर

सरोज देवी के पार्थिव शरीर से छात्र करेंगे पढ़ाई

अजमेर, (कास)। बिहारीगंज निवासी सरोज देवी शर्मा धर्मपत्नी स्व. हरिप्रसाद शर्मा का निधन होने पर लायंस क्लब अजमेर वेस्ट के माध्यम से उनके परिजन लायन सीमा पाठक ने उनकी इच्छानुसार देहदान कराया। देहदान के डिस्ट्रिक्ट चैयरपर्सन लायन सोमरत्न आर्य ने बताया कि दोपहर को 75 वर्षीय सरोज देवी का निधन हो गया था। परिजन लता शर्मा, वीरेंद्र पाठक, कमल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, राकेश शर्मा की सहमति से जवाहरलाल नेहरू मैडिकल कॉलेज में देहदान कराया गया।

- **लायंस क्लब वेस्ट ने सरोज देवी शर्मा का कराया देहदान**

परिजनों की सहमति के बाद जवाहरलाल नेहरू मैडिकल कॉलेज की टीम ने देहदान का प्रमाण पत्र परिजनों को सौंपा।

गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान बिहारीगंज गली न. 4 से जवाहरलाल नेहरू मैडिकल कॉलेज में देहदान के लिए ले जाया गया। जहां मैडिकल कॉलेज के संरचना विभाग के छात्रों की शिक्षा एवं शोध के लिए सौंपा गया। विभागाध्यक्ष डॉ. आभा भारद्वाज, डॉ पवन जांगिड़, डॉ ओमप्रकाश, डॉ राहुल एवम् चिकित्सको को पार्थिव देह सौंपी गई। इस अवसर पर पूर्व प्रांतपाल लायन सतीश बंसल, क्लब अध्यक्ष लायन अमितप्रभा शुक्ला , सचिव लायन प्रदीप बंसल, लायंस मार्केटिंग के डिस्ट्रिक चेयरपर्सन लायन राजेंद्र गांधी, लायन सोम रत्न आर्य, लायन हीरामणि पाठक, सहित अन्य उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा सर्टिफिकेट देकर परिजनों को नेक कार्य के लिए आभार जताया।

75 साल बाद ढिलकी गांव को सड़क की सौगात

हनुमानगढ़, (निसं)। जिले के नोहर क्षेत्र के गांव ढिलकी में विभिन्न विकास कार्यों का भादरा विधायक बलवान पूनिया व नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल ने शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सतपाल व्यास ने की। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गांव ढिलकी से गोगामेड़ी तक करीब 2 करोड़ 82 लाख की लागत सड़क का निर्माण होगा।

- **3.47 करोड़ की लागत से होगा पेयजल समस्या का समाधान**
- **भादरा विधायक व नोहर प्रधान ने की विकास कार्यों की घोषणा**

गांव में पेयजल व्यवस्था के लिए 3 करोड़ 47 लाख की लागत से उच्च जलाशय व पाइप लाइन डाली जाएगी। 75 साल बाद गांव को सड़क की सौगात मिली है। लोग लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं पेयजल के टंकी और पाइप लाइन डलने से पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। विधायक पूनिया ने ढिलकी में शहीद भगतसिंह पार्क निर्माण, बाइपास सड़क, बस स्टैंड के निर्माण की घोषणा की।

प्रधान सोहन ढिल ने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं की सुविधा के लिए लाडो शौचालय के निर्माण सहित गौशाला मार्ग पर डिवाइडर रोड़ बनाने की घोषणा की। इस मौके पर महंत रूपनाथ, उप सरपंच सरस्वती देवी, पूर्व सरपंच धनपतराम, राजेश प्रसाद दुगल, रणजीत बाना, मांगेराम, लादूराम नेहरा, शिव कुमार शर्मा, कालूराम बैरड़, रूपराम मील, कुलदीप माकड़, माडूराम बैरड़, प्रेम खान, सुबेदीन, सांवरमल बुडानिया, हनुमान ढ़ाका, लादूराम देदड़, गुरूदयाल बुडानिया, राजेंद्र बलवंत नाई, छोटूराम दुगल, सुरेन्द्र गढ़वाल, जगदीश गढ़वाल, रेड़ाराम तिवाड़ी, हरिभगत शर्मा, संतलाल शर्मा, राजेश बैरड़ सहित गामीण मौजूद हैं।

सड़क पर मिले ढाई लाख रुपए थाने में जमा करवाए

बीकानेर, (कासं)। सीआईडी के एसआई को सड़क पर मिले ढाई लाख रुपए उसने थाने में जमा करवाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। सीआईडी एसआई नारायण शंकर सेवग को खरनाड़ा हनुमान मंदिर रोड पर उसके आगे चल रही कुछ बाइक में से एक बाइक से बंडल गिरता दिखा।

- **खरनाड़ा हनुमान मंदिर रोड पर आगे चल रही कुछ बाइक में से एक बाइक से बंडल गिरता दिखा था**

उसने बंडल देखा तो उसमें से कुछ नोट बिखर गए थे। उसने नोटों को एकत्रित कर बंडल में डाला। 40 मिनट वहीं इंतजार किया मगर कोई नहीं मिला। वहां मौजूद दुकानदारों के सामने नोट गिने तो वे ढाई लाख रुपए निकले। वहां उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए और रुपए सुरक्षित रख लिए। चार दिन तक रुपए का मालिक नहीं मिलने पर बुधवार को उन्होंने कोटगेट थाने में जाकर रुपए जमा करवा दिए।

उद्घाटन के इंतजार में अग्नि शमन केन्द्र

बीकानेर, (कासं)। शिववैली में शहर का तीसरा अग्नि शमन केन्द्र तैयार हो चुका है। इस अग्नि शमन केन्द्र के तैयार होने के बाद भी निगम प्रशासन इसको शुरु करने में उदासीनता बरत रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 43 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। इस फायर स्टेशन के शुरु होने से यहां दो दमकल की गाड़िया खड़ी रह सकती है।

बाजार क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक होने से आग की घटना पर यहां से तुरंत पहुंचा भी जा सकता है। यहां अग्निशमन केन्द्र स्थापित हो, इसको लेकर निगम महापौर की ओर से सकारात्मक प्रयास किए गए व कार्य का शिलान्यास किया गया था। शिववैली स्थित अग्नि शमन केन्द्र में एक कंट्रोल रुम सहित छह स्टाफ रूम भी है। निगम के सहायक अभियंता संजय ठोलिया के अनुसार इस फायर स्टेशन में अण्डर ग्राउण्ड पानी का टैंक है, जिसकी क्षमता 25 हजार लीटर है। छत पर भी प्लास्टिक की टंकिया लगा रखी है। 3 एचपी का पम्प लगा है। दो गाड़ियों के यहां खड़े रहने की व्यवस्था है। नगर निगम का दमकल बेडा फायरमैन व गाड़ियों की कमी से जूझ रहा है। वर्तमान में बीछवाल व मुरलीधर व्यास कॉलोनी दो स्थानों पर फायर स्टेशन संचालित है। दोनों केन्द्रों पर कुल नौ गाड़िया है, जिनमें आठ चालू स्थिति में बताई जा रही है। आठ में से सात गाड़िया दस से बीस साल पुरानी है। वहीं फायरमैन के स्वीकृत 42 पदों में से 10 पद ही भरे हुए है। संविदा कार्मिकों से फायर बेडा चल रहा है। दोनो अग्नि शमन केन्द्रों पर भी आवश्यकता के अनुसार स्टाफ व गाड़िया नहीं है। गोपालराम बिरदा, आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर का कहना है कि शिववैली अग्निशमन केन्द्र के निर्माण सहित अन्य आवश्यक तैयारियों की जानकारी ली जाएगी।

बीकानेर में तीन दिन जुटेंगे देशभर के यूरोलॉजिस्ट

बीकानेर, (कासं)। 32 वीं नॉर्थ जोन यूरोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया का अधिवेशन बीकानेर में 28 से 30 अक्टूबर तक पार्क पैराडाइज में होगा । जिसमें देशभर के आठ राज्यों के लगभग 500 से ज्यादा यूरोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं। पत्रकार वार्ता में आयोजन की जानकारी देते हुए एसपी मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ.मुकेश आर्य ने बताया कि तीन दिनों में 350 के आस-पास रिसर्च पेपर विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत होंगे।

जिसमें यूरोलॉजी विभाग से संबंधित सभी तरह के आधुनिक तकनीक और बीमारी के निदान से लेकर इलाज में हुए बदलाव पर चर्चा की जाएगी। वहीं विदेशों से भी कई न्यूरोलॉजिस्ट ऑनलाइन अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। जिसमें डॉ पारबो और डॉक्टर एनामारी अपने अनुभव साझा करेंगे। डॉ आर्य ने बताया कि यूरो मैट सेशन में यंग फैक ल्टी और रेजिडेट के लिये न्यू ऑपरेशन तकनीक का थ्री डी डेमो भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर चिकित्सा जगत के इतिहास में यह पहला अधिवेशन होगा जिसमें नार्थ जोन के यूरोलॉजिस्ट शामिल होंगे।

एसपी मैडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ.मुकेश आर्य ने प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया।

- **आठ राज्यों के लगभग 500 से ज्यादा यूरोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं**
- **आधुनिक तकनीकों पर होगा मंथन**

आयोजन सचिव डॉ जे पी स्वामी ने बताया कि अधिवेशन में राजस्थान से दौ सौ के करीब न्यूरोलॉजिस्ट भागीदारी निभा रहे है। अधिवेशन के दौरान अनेक जनों का सम्मान भी किया जाएगा तथा नई कार्यकारिणी की घोषणा भी होगी। 27 अक्टूबर को रेलवे ग्राउण्ड में दो टीमों के बीच मैच भी खेला गया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 28 अक्टूबर, 2022

कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, अनुराधा नक्षत्र दिन 10:42 तक, शोभन योग रात्रि 1:29 तक, गर करण दिन 10:34 तक, चन्द्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-तुला, गुरू-मीन, शुक्र-तुला, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 10:42 तक है। राजयोग सूर्योदय से दिन 10:34 तक है। रवियोग दिन 10:42 से आरम्भ होगा। भद्रा रात्रि 9:24 से शनिवार प्रात: 8:14 तक रहेगी। आज विनायक चतुरथी, दूर्वा गणपति व्रत है और डाला छठ महापर्व आरम्भ होगा। आज रवि उलसानि मु. 4 आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:01 तक, लाभ-अमृत 8:01 से 10:47 तक, शुभ 12:11 से 1:34 तक, चर 4:20 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:37, सूर्यास्त 5:44

मेष

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला

आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

वृश्चिक

मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।

मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित योजना का क्रियान्वयन होगा। आय में वृद्धि होगी।

मीन

धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।